उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या-1/2025/I/838679/2025/10-24001(002)/1/2024-3

लखनऊ; दिनांक : 01-01-2025

विज्ञप्ति/तैनाती

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के अनुसार सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रूपये 56,100 से 1,77,500/-) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित रिक्त जनपद/संस्था/निदेशालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	पदस्थापन/तैनाती
1	*2*	*3*	*4*
1	अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रयागराज	चित्रकूट
2	राधा कृष्ण जायसवाल	जौनपुर	संत कबीर नगर
3	जगदीश नारायण दीक्षित	कानपुर नगर	इटावा
4	विश्वनाथ सिंह	वाराणसी	सुलतानपुर
5	रूद्र नारायण मिश्र	प्रयागराज	अमरोहा
6	उमेश पाल सिंह	हरदोई	शामली
7	संतोष कुमार ठाकुर	बिहार	बलिया
8	अखिल चन्देल	कानपुर नगर	पूरनपुर चीनी मिल, पीलीभीत
9	राकेश रंजन राजू	बिहार	फर्रूखाबाद
10	राजेश शुक्ल	अयोध्या	कन्नौज
11	जीतेन्द्र प्रताप सिंह	मऊ	सहकारी दुग्ध संघ, गोण्डा
12	कुमार विपिन सिंह	बिहार	ललितपुर
13	विनोद कुमार	प्रयागराज	महोबा
14	गयानन्द झा	बिहार	निदेशालय

2- उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती जनपद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5- उक्त अधिकारियों को अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती स्थान से आहरित होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0।
5. उप सचिव (श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-54(4)/29/पी/एस-1(05)/2024-25 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 के अनुक्रम में।
6. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।